# कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्रतापगढ़

अधिसूचना संख्या–361 / अधिसूचना / स0सु0 / 2020 दिनांक– 15.7.2020

## अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है–

और जहॉ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमाको जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कतते हुये प्रतापगढ़ जनपद से होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

| क्रम सं0 | मार्ग का नाम | स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी | यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (किमी0 / घंटा में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | टू व्हीलर / थ्री व्हीलर | चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान | चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान | समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | प्रतापगढ़–कोहडौर– पट्टी (प्रमुख जिला मार्ग) | कोहडौर–पट्टी | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 2 | प्रतापगढ़–ढकवा (प्रमुख जिला मार्ग) | चिलबिला–दीवानगंज–पट्टी –ढकवा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 3 | प्रतापगढ़–कोहडौर (प्रमुख जिला मार्ग) | चिलबिला–मदाफरपुर–अतर सण्ड | 40 | 60 | 60 | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतापगढ़–कंधई हनुमानगंज (प्रमुख जिला मार्ग) | चिलबिला–रखहा–कधई | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 5 | पट्टी–रानीगंज (प्रमुख जिला मार्ग) | पट्टी–रानीगंज | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 6 | प्रतापगढ़–अमेठी (अन्य जिला मार्ग) | चिलाबिला–बाबूगंज | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 7 | प्रतापगढ़–लालगंज (प्रमुख जिला मार्ग) | चिलबिला–बाबूगंज–लालगंज | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 8 | मंगापुर–गौरीगंज (अन्य जिला मार्ग) | मंगापुर–अठेहा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 9 | लालगंज–मंगापुर (प्रमुख जिला मार्ग) | सांगीपुर–उदयपुर–मंगापुर | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 10 | प्रतापगढ़–कुण्डा (प्रमुख जिला मार्ग) | मोहनगंज–नवाबगंज–कुण्डा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 11 | प्रतापगढ़–रखहा (प्रमुख जिला मार्ग) | सहोदरपुर–कादीपुर–रखहा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 12 | विश्वनाथगंज–मानधाता (प्रमुख जिला मार्ग) | विश्वनाथगंज–मानधाता | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 13 | प्रतापगढ़–सोरांव (अन्य जिला मार्ग) | कटरा मेंदनीगंज–कटरा गुलाब सिंह–जेठवारा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 14 | लालगंज–कुण्डा (प्रमुख जिला मार्ग) | लालगंज–संग्रामगढ़–कुण्डा | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 15 | प्रतापगढ़–सण्डवा चन्द्रिका (प्रमुख जिला मार्ग) | गायघाट–गड़वारा–सण्डवा चंन्द्रिका | 40 | 60 | 60 | 50 |
| 16 | प्रतापगढ़–लालगोपालगंज (प्रमुख जिला मार्ग) | मोहनगंज–जेंठवारा–लालगोपालगंज | 40 | 60 | 60 | 50 |

गति सम्बन्धी प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

1) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर– प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(सुशील कुमार मिश्रा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
प्रतापगढ़

**पृष्ठ संख्या– /अधिसूचना/स0सु0/2020 समदिनांकित–**

**प्रतिलिपि–** निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1) परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0, लखनऊ।
2) अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
4) पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
5) निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6) अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रतापमढ़।
7) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी) लखनऊ।

भवदीय

(सुशील कुमार मिश्रा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
प्रतापगढ़